

**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।**

पत्रांक :-

दिनांक :-

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
बोकारो।

F.C. Act
12/04/19

विषय :- इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड हेतु 184.23 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो का पत्रांक 843 दिनांक 03.04.2019

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा आपके अनुमोदनोपरान्त प्राप्त प्रस्ताव में 184.23 हे० (99.27 हे० वनभूमि एवं 84.86 हे० जंगल-झाड़ी) वनभूमि अपयोजन प्रस्तावित किया गया है। प्रस्ताव के साथ संलग्न अभिलेखों की समीक्षोपरान्त पाई गई त्रुटियों के क्रम में निम्न बिन्दुओं पर अतिरिक्त अभिलेख/सूचना अविलम्ब समर्पित करते हुए इस संबंध में वस्तुस्थिति शीघ्र स्पष्ट किया जाय :-

1. प्रस्ताव के साथ जंगल-झाड़ी भूमि के उपयोग हेतु उपायुक्त, बोकारो का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
2. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा पार्ट-II के बिन्दु-11 पर अपयोजन हेतु प्रस्तावित 99.27 हे० अधिसूचित वनभूमि में से 89.43 हे० पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन प्रतिवेदित किया गया है। परन्तु 84.86 हे० जंगल-झाड़ी भूमि पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गयी है।

विदित हो कि वन प्रमंडल पदाधिकारी, बोकारो द्वारा पूर्व में मेसर्स इलेक्ट्रो स्टील लि० द्वारा वनभूमि पर किये गये अतिक्रमण के संबंध में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, बोकारो (गोपनीय शाखा) पत्रांक-02 मु०/गो० दिनांक 29.06.2012 के पत्र को संलग्न किया गया था, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मेसर्स इलेक्ट्रो स्टील लि० के प्लांट अन्तर्गत पड़ने वाली भूमि में कुल 372.90 एकड़ भूमि जंगल-झाड़ी के रूप में दर्ज है। उपायुक्त, बोकारो के उक्त पत्र के साथ अनुलग्नक के रूप में अंचल अधिकारी, चास तथा अंचल अधिकारी, चन्दनक्यारी के प्रतिवेदन में प्लॉटवार जंगल-झाड़ी भूमि दर्शाया गया है।

अतः अपयोजन हेतु प्रस्तावित 84.86 हे० जंगल-झाड़ी भूमि पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।

3. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा पार्ट-II के बिन्दु-13 पर गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल के अधीन चयनित CA land से संबंधित ग्रामों का नाम की सूची में पत्थरटांड, गम्हारटांड, गिद्धाटांड, सोनरे, महुवार तथा करहरबाड़ी का नाम अंकित करते हुए संबंधित ग्रामों का DGPS map/shape file एवं Toposheet location upload किया गया है। परन्तु, वन संरक्षक, बोकारो द्वारा अपने प्रासंगिक अग्रसारण पत्र में गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल के अधीन चयनित CA land हेतु अलग ग्रामों का नाम पारसबनी, अंगैया, मंझलाडीह, पीहरा, मनीमहोडर एवं महुवार का उल्लेख किया गया है तथा संबंधित ग्रामों का नक्शा संलग्न किया गया है। इस विरोधाभास का परिमार्जन आवश्यक है। तदनुसार ही बिन्दु-13 (i), (ii) एवं (iii) पर संशोधित अभिलेख upload किया जाना अपेक्षित है।
4. लोहरदगा वन प्रमंडल के अधीन क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित 4 ग्रामों में चयनित 65.743 हे० क्षेत्रफल में से मात्र 18.00 हे० पर वनरोपण किये जाने हेतु 18.00 हे० पर 19800 पौधा के रोपण हेतु प्राक्कलन संलग्न किया गया है, जबकि भारत सरकार के वर्तमान